CASE NO.60319/ 2016



COMPLAINT/REPORT made on 03-12-2016

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 260- 265 OF CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973

IN THE COURT OF PANKAJ SHARMA JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS, GOHAD DISTRICT BHIND

| Name and address of the complaintant. Head get sheaf and afficient the said |
|--|
| 03 प्रकरण में आरोपी निरोध में नहीं रहा है। |
| Name, parentage, caste and address of accused |
| |
| सुभान् शहन क्षिण गाजूर शहन उस पडलाल |
| निवाकी - भोरियन होला काला भी जिलाभिक |
| |
| |
| |
| The offense complained of, date of its alleged commission कि आपने द्वानान्य द्वान विनांक 19 10 16 समय - एपा द जिल्ला भण्ड पर |
| हाथ ठेला लगाकर / अन्य प्रकार से आम जनता के आवागमन में व्यवधान कारित किया। और ऐसा कर आपने वह अपराध किया जो धारा 34 पुलिस एक्ट के अधीन होकर इस न्यायालय |
| के संज्ञान में है। |
| पंकर्ज शर्मा |
| जे.एम. एक सी गोहर जिला भिण्ड |
| |
| The Plea of acused and his examination (if Any)- |
| |

धारा 206 द.प्र.सं का संमंस बाद तामील प्राप्त जिसमें अभियुक्त ने लिखित अभिवाक् कर स्वेच्छया से अपराध को का स्वीकार किया अभिवाक् पृथक से संलग्न है।

> पंकर्ण शर्मा जे.एम.एफ.सी गोहद जिला हिएड नियक मजिल्द्र (अ.प्र.)

(<u>आज दिनांक : ०.८) १५ ।</u> को पारित किया गया)

01. उपरोक्त अभियुक्त को स्वेच्छ्या पूर्वक की गयी स्वीकारोक्ति के अभिवाक् के परिणामस्वरूप धारा 34 पुलिस एक्ट के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।
02. आरोपी को धारा 34 पुलिस एक्ट के आरोप में दस रूपये (10 / रु) के अर्थदण्ड़ से दिण्ड़त `

किया जाता है।

03.. प्रकरण में आरोपी निरोध में नहीं रहा है।

पंक्रज शर्मा जोएम एफ सी गोहद्ग जिला भिण्ड शेंडद, जिला-किण्ड (म.प्र.)